न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 117/2024
जीसीएमएस सं. 2024/192

अपीलांटः–

पन्नाराम पुत्र राणाराम जाति सुथार निवासी सेखाला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंट्सः–

01. तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर।
02. पृथ्वी सिंह पुत्र कुशाल सिंह जाति राजपूत निवासी बाला की ढाणी, सेखाला, तह. सेखाला, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश दिनांक 02.08.2024, जो न्यायालय तहसीलदार, सेखाला द्वारा प्रकरण सं. 02/2024 में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह बांवरला (अपीलांट की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी एवं हनुमानराम गोदारा (प्रत्यर्थी सं. 02 की ओर से)

निर्णय **दिनांक 11.02.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अन्तर्गत. तहसीलदार, सेखाला, जिला जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या–02/2024, अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के तहत ग्राम सेखाला के ख.नं. 245, रकबा 0.2509 हैक्टर (1–11 बीघा) गै.मु. रास्ता की भूमि पर अपीलांट पन्नाराम द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने हेतु जारी कारण बताओं नोटिस आदेश दिनांक 02.08.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 20.08.2024 को पेश की है।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार सेखाला को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।
3. इस न्यायालय के आदेश दिनांक 11.09.2025 से प्रत्यर्थी–2 पृथ्वीसिंह पुत्र कुशालसिंह द्वारा सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

जाकर, पृथ्वीसिंह को पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया, जिनकी ओर से अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है।

4. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सेखाला द्वारा इस आशय की एक रिपोर्ट तहसीलदार सेखाला को दिनांक 02.08.2024 को पेश की गई कि अपीलांट पन्नाराम द्वारा ग्राम सेखाला के ख.नं. 245 गे. मु. रास्ता की 0.1212 हैक्टर भूमि पर जाली व तारबंदी लगाकर अतिक्रमण किया है। ख.नं. 245 के रूप में कटाणी रास्ता अपीलांट की खातेदारी भूमि 244 व 248 के मध्य में से होकर चलता है।

पटवारी की उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार सेखाला ने राजस्थान भू–राजस्व अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 02/2024 दर्ज रजिस्टर किया तथा अपीलांट पन्नाराम को राजस्थान भू–राजस्व (अतिक्रमियों की बेदखली) नियम 1975 के नियम–3 के तहत निर्धारित प्रपत्र अ में कारण बताओं नोटिस जारी किया तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सुनवाई तिथि दिनांक 20.08.2024 को नियत की गई। उक्त अन्तरिम आदेश दिनांक 02.08.2024 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत पेश की है। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट ने एक सिविल वाद सं 02/2009 अनवान पन्नाराम बनाम चुनाराम वगैरा, सिविल कोर्ट बालेसर में पेश किया था। सिविल न्यायालय ने मौका कमिश्नर से रिपोर्ट मंगवाई। मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2009 में अपीलांट के खातेदारी खेत खसरा सं. 244 में चलने वाला रास्ता दर्शाया है। दीवानी न्यायालय में तहसीलदार स्वयं प्रतिवादी संख्या 5 थे तथा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। उक्त दीवानी वाद में पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा दिनांक 30.07.2011 को पेश किया गया तथा न्यायालय ने राजीनामा को डिक्री का भाग मानकर डिक्री पारित की है तथा जहां पर रास्ता चल रहा है, वही चलता रहेगा। उक्त निर्णय की जानकारी तहसीलदार को भलीभांति है, फिर भी अपीलाधीन नोटिस जारी किया गया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। न्यायालय की डिक्री एवं निर्णय अनुसार आवागमन हेतु रास्ता कायम है। अपीलांट ने वादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपीलाधीन विधि विरूद्ध आदेश को अपास्त किया जावे।

5. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक गण की बहस अपील सुनी गई।

6. अपीलांट के विद्वान अभिवक्ता श्री उम्मेदसिंह बांवरला ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए कथन किया कि ख.नं. 245 रिकॉर्ड में कटाणी रास्ता दर्ज

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है। पटवारी की अतिक्रमण रिपोर्ट में 'Red Line' अनुसार मौके पर रास्ता चालू है मुरडियां सड़क बनी हुई है अर्थात् मौके पर रिकार्ड में तरमीम ख.नं. 245 रास्ता व वास्तविक चालू, सड़क के स्थान में अंतर है। सिविल कोर्ट, बालेसर द्वारा वाद सं 02/2009 में दिनांक 13.01.2009 को मौका रिपोर्ट मंगवायी। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है। पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा से वाद में डिक्री पारित की गई तथा राजीनामा को डिक्री का भाग माना गया है, जिसकी कॉपी तहसीलदार को भेजी गई है। अतः तहसीलदार व ग्राम पंचायत, उक्त डिक्री से पाबंद है। अब नए सिरे से तहसीलदार कोई आदेश पारित नहीं कर सकता। अगर तहसीलदार उक्त डिक्री से असहमत थे तो उन्हे अपील करनी चाहिए थी परन्तु धारा 91 के तहत अब बेदखली की कार्यवाही नहीं कर सकते तथा तहसीलदार का आदेश क्षेत्राधिकार से परे है। अतः अपील स्वीकार की जावे तथा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जावे।

7. प्रत्यर्थी 2 पृथ्वीसिंह के विद्वान अधिवक्ता श्री बांकाराम चौधरी ने फॉर्म नम्बर–3 में दस्तावेजात पेश किए है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SBCWP No. 8534/2015 में पारित आदेश की पालना में जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा जारी निर्देश शामिल है।

   विद्वान अधिवक्ता ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि ख.नं. 248 में से ख.नं. 245 कटाणी रास्ता गत सर्वे एवं सेटलमेन्ट से ही दर्ज है। अपीलांट ने कटाणी रास्ता पर अतिक्रमण करके रास्ते को दूसरी जगह माठ पर शिफ्ट कर दिया है, जहां से वाहन गुजर ही नहीं सकते। अपीलांट ने जो सिविल दावा किया था, उसमें उसके भाई वगैरा ही पक्षकार थे। राजीनामा में प्रत्यर्थी 2 पक्षकार ही नही था। राजीनामा अपीलांट व अन्य पक्षकारों के मध्य हुआ है। तहसीलदार का पक्ष सुना ही नहीं गया। एक तरफा कार्यवाही में राजीनामा नहीं हो सकता। मनरेगा में कटाणी रास्ता ख.नं. 245 पर ही सड़क स्वीकृत हुई है। परन्तु अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने से सड़क निर्माण रूका हुआ है। वर्ष 2007 में रास्ता खुलवाया था परन्तु अब पुनः अतिक्रमण कर लिया है। अतः कटाणी रास्ता पर अतिक्रमण हटाया जाना आवश्यक है तथा धारा 91 का नोटिस सही जारी किया है।

8. प्रत्यर्थी सं. 2 की उक्तानुसार बहस का प्रत्युत्तर देते हुए, अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का तर्क रहा कि सिविल कोर्ट में राजीनामा में जो मौका रिपोर्ट पेश हुई है, उसके अनुसार वाद में डिक्री जारी हुई है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। दिनांक

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

13.01.2009 की मौका रिपोर्ट में गांव के मौजिज व्यक्ति मौजूद थे। प्रत्यर्थी सं. 2 व अन्य गांव बाला की ढाणी के निवासी है। प्रत्यर्थी 2 का पास में खेत भी नहीं है। वह हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। प्रत्यर्थी 2 को आवश्यक पक्षकार नहीं होने के कारण, सिविल कोर्ट में पक्षकार नहीं बनाया गया। उसका कोई हित प्रभावित नहीं होता है। प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

9. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया तथा उन पर गहनता से मनन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया। संबंधित विधि प्रावधानों का अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

10. न्यायालय तहसीलदार, सेखाला से प्राप्त प्रकरण सं. 02/2024 में उपलब्ध अभिलेखानुसार पटवारी हल्का, सेखाला ने ग्राम सेखाला के सरकारी खसरा सं. 245, किस्म गै.मु. रास्ता की 0.1214 हैक्टर भूमि पर अपीलांट पन्नाराम द्वारा जाली तारबंदी करके अतिक्रमण करने पर, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कानूनी कार्यवाही करने हेतु रिपोर्ट तहसीलदार, सेखाला को पेश की है। पटवारी ने रिपोर्ट पर अतिक्रमित भूमि का नक्शा भी अंकित किया है। नक्शा अनुसार ख.नं. 245 गै.मु. रास्ता, ख.नं. 248 व 244 के बीच में चलता है, जिस पर अपीलांट ने जाली व तारबंदी करके रास्ता को बंद कर दिया है। मौके पर वास्तविक जगह चालू रास्ता को ख.नं. 244 में लाल स्याही से दर्शाया है अर्थात् रिकॉर्ड में दर्ज सरकारी कटाण रास्ता के बजाय, मौके पर रास्ता का चलन शिफ्ट कर दिया है। पटवारी की उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार ने धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर, दिनांक 02.08.2024 को हेतुक दर्शाने हेतु एवं अपना पक्ष/सबूत पेश करने हेतु नोटिस जारी किया है तथा अगली सुनवाई तिथि दिनांक 20.08.2024 नियत की है। दिनांक 20.08.2024 को अपीलांट ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर समय मांगा तथा अगली सुनवाई तिथि दिनांक 28.08.2024 नियत की, जिस पर अपीलांट अनुपस्थित रहा तथा तहसीलदार ने पुनः सम्मन जारी कर, सुनवाई तिथि दिनांक 06.09.2024 नियत की। तहसीलदार के नोटिस दिनांक 02.08.2024 से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 20.08.2024 को इस न्यायालय में पेश की है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अंतरिम प्रकृति का है।

11. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि हस्तगत विवाद को लेकर एक सिविल वाद सं. 02/2009, सिविल न्यायाधीश (क.ख.), बालेसर में पन्नाराम वगैरा बनाम चुनाराम वगैरा व तहसीलदार, शेरगढ चला था, जिसमें न्यायालय के आदेश से मौका

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

कमिश्नर ने दिनांक 13.01.2009 को दीवानी विविध प्रकरण सं. 04/2009 में रिपोर्ट पेश की। पक्षकारों ने आपस में राजीनामा करके, न्यायालय में पेश करने पर, राजीनामा अनुसार, जहां पर वर्तमान में रास्ता चल रहा है, वह चलता रहेगा। इस राजीनामा में तहसीलदार शेरगढ शामिल नहीं थे। उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पहले से ही की जा चुकी थी। राजीनामा अनुसार न्यायालय ने दिनांक 30.07.2011 को आदेश पारित करके दिनांक 30.07.2011 को डिक्री पारित की है, जिसकी फोटो प्रतियां अपीलांट ने पेश की है। उक्त वाद में प्रस्तुत वाद पत्र, राजीनामा की जवाबदावा की प्रतियां हमारे समक्ष नहीं है तथा दिनांक 30.07.2011 को पारित डिक्री की इजराय किस प्रकार से व कब करवाई गई। इजराय में की गई कार्यवाही का कोई अभिलेख पेश नहीं किया है। इजराय की कार्यवाही करने की म्याद अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त समस्त प्रकार के अभिलेखों का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।

12. अपीलांट ने अपने पक्ष के सबूत व दस्तावेजों को तहसीलदार, सेखाला के समक्ष पेश किये बिना ही, एक अंतरिम प्रकृति के आदेश दिनांक 02.08.2024 के विरूद्ध सीधे ही अपीलेट कोर्ट में धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत यह अपील पेश की है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 77 इस प्रकार है:–

Section 77. No appeal in certain cases.

(1) No appeal shall lie-

(a) (b) (c).....

(d) from an interim order.

इस प्रकार धारा 77(1)(d) के प्रावधानुसार अंतरिम आदेश के विरूद्ध कोई अपील मेंटेनेबल नहीं है। उक्त प्रावधान आज्ञात्मक है।

13. राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार को सरकारी भूमि पर से अनाधिकृत कब्जों की जांच करने एवं पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् विधिवत आदेश पारित करके बेदखल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा तहसीलदार द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत कलक्टर के न्यायालय में पेश करने का प्रावधान है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार ने अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी करके हेतुक दर्शित करने का एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है, परंतु अपीलांट

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

ने दिये गए अवसर का उपयोग किये बिना ही सीधे ही अंतरिम प्रकृति के आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की है। तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन अंतरिम आदेश दिनांक 02.08.2024 एवं उसकी पालना में जारी कारण बताओं नोटिस में किसी प्रकार की अवैधनिकता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि इस न्यायालय की राय में नहीं पाई गई है। अतः अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील मेंटेनेबल नहीं है तथा अपील इसी कारण से खारिज योग्य है।

14. राजस्व अभिलेखों में ख.नं. 245 की भूमि गै.मु. रास्ता सरकारी भूमि दर्ज है। गै.मु. रास्ता सार्वजनिक रास्ता है, जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार राजस्थान टिनेंसी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्राप्त नहीं हो सकते। इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा DB Civil (PIL) No. 1536/2003 (D/d 02-08-2004) अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, SBCWP No. 11153/2011 Suo Moto VS State of Rajasthan में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2012, DBCWP (PIL) No. 1554/2004 (D/d 08-08-2017) गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान राज्य, DBCWP No. 14473/2018 रोशन बनाम राजस्थान राज्य, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर निर्णय दिनांक 02.09.2019 उल्लेखनीय है। गै.मु. रास्ता की सरकारी भूमि किसी भी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती तथा न ही अदला बदली की जा सकती है।

हस्तगत प्रकरण में माननीय सिविल कोर्ट ने अपने आदेश में ख.नं. 245 गै.मु. रास्ता की सरकारी भूमि का आवंटन अपीलांट को नहीं किया है बल्कि वर्तमान में जहां पर रास्ता, मौका रिपोर्ट दिनांक 13.01.2009 अनुसार चल रहा है, उसे पक्षकारों की आपसी सहमति से प्राईवेट भूमि पर यथावत चालू रखने की डिक्री पारित की है, जिसमें तहसीलदार की सहमति नहीं थी तथा न्यायालय की डिक्री अनुसार, मौके पर प्राईवेट भूमि पर चालू रास्ता को बंद करने का नोटिस तहसीलदार ने जारी नहीं किया है। फिर भी अगर अपीलांट ने ख.नं. 245 गै.मु. रास्ता की सरकारी भूमि पर हक, अधिकार इत्यादि अर्जित कर लिये है, तो ऐसा मान्य दस्तावेज तहसीलदार के समक्ष पेश करने हेतु अपीलांट स्वतंत्र है तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतों पर विचार करके, तहसीलदार द्वारा स्पीकिंग आदेश पारित करने की अपेक्षा की जाती है तथा फिर भी तहसीलदार के अंतिम आदेश से अपीलांट व्यथित रहता है, तो वह नियमानुसार सक्षम अपीलेट कोर्ट में अपील पेश करने हेतु स्वतंत्र है।

15. इस संबंध में इसी प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा SBCWP No. 8534/2015 पृथ्वी सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2018 में दिये गये निर्देशों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

16. उपरोक्त विवेचनानुसार एवं विश्लेषणानुसार अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 02.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील इस न्यायालय में संधारण योग्य नहीं है तथा इसी आधार पर, बिना गुणावगुण पर विचारण किये, खारिज योग्य है।

आदेश

17. परिणामतः अपीलांट द्वारा तहसीलदार, सेखाला द्वारा प्रकरण सं. 02/2024 (सरकार बनाम पन्नाराम) में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 02.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है तथा तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश एवं जारी कारण बताओ नोटिस यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, सेखाला पूर्णतः विधि प्रक्रिया अनुसार प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।
18. निर्णय की प्रति के साथ मूल पत्रावली तहसीलदार, सेखाला को तुरंत लौटाई जावे। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 25.02.2026 नियत की जाती है। उभय पक्षकार उक्त नियंत तिथि को तहसीलदार, सेखाला के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष साक्ष्य/सबूत के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते है।
19. प्रकरण में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र को मूल अपील के निर्णित हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।
20. प्रकरण में अन्य लंबित समस्त प्रार्थना (यदि कोई हो तो) को भी एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।
21. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम),
जोधपुर।